नारियल के नए रोपण के लिए सहायिकी का आवेदन (प्रथम वर्ष)

नारियल विकास बोर्ड

(कृषि मंत्रालय, भारत सरकार) क्षेत्रीय कार्यालय / राज्य केन्द्र .....

किसान का फोटो

COCONUT DEVELOPMENT BOARD

Ministry of Agriculture, Government of India, Regional Office / State Centre **.....**

फोन फैक्स Email:

Web: www.coconutboard.gov.in

जिला.....कृषि भवन.....

1. आवेदक का नाम

2. आवेदक का पता .....
.... पिन कोड..... ..... मोबाइल नं. .....

3.

बैंक का नाम	शाखा	आईएफएस कोड	खाता सं

4.

रेशन कार्ड सं	पहचान पत्र सं	आधार सं.(UID)

जिन किसानों के पास 0.25 हेक्टर (62 सेंट) या उससे अधिक कृषि भूमि है और जिन्होंने 40 या उससे अधिक नई नारियल पौधा लगाई हैं वे नए रोपण की गई कृषि भूमि के पोस्ट कार्ड आकार का फोटो यहाँ लगाए।

3. क्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के हैं (✓टिक करें)

अ.जा	अ.ज.जा	अन्य

6. क) आवेदक के अधीन की कुल कृषि भूमि का कुल क्षेत्रफल

एकड़	हेक्टर

ख) नए नारियल पौधे लगाई गई भूमि का क्षेत्रफल

एकड़	हेक्टर

7. भूमि का ब्योरा जिसके लिए आर्थिक सहायता का आवेदन किया गया

क्रम सं	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	गाँव	ताल्लूका

* *निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन के साथ संलग्न करें।*

भूमि का स्वामित्व साबित करने हेतु चालू वर्ष में भूमि कर अदायगी रसीद की प्रतिलिपि (राजपत्रित अधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित) या ग्राम अधिकारी से प्राप्त स्वामित्व संबंधी प्रमाणपत्र आवेदन के साथ संलग्न करें।)

8. क्या आवेदक उपर्युक्त भूमि का मालिक है

हाँ	नहीं

9. क्या पौध मौजूदा नारियल पेड़ों के बीच में लगाई हैं ?

हाँ	नहीं

10. सिंचाई की रीति

थाला	बूँद सिंचाई	मट्की	स्प्रिंक्लर

11. रोपित पौध की किस्में

किस्म	संख्या	पौधा कहाँ से खरीदा	भाव(रुपए)
संकर किस्म			
लंबी किस्म			
अन्य			

12. कृषि संबंधी ब्योरे

तारीख	महीना	वर्ष

क) नारियल पौधे लगाने की तारीख

ख) पौधों के बीच की दूरी

ग) लगाए गए पौधों की संख्या

घ) प्रयुक्त जैविक खाद/ रासायनिक उर्वरक

	कि.ग्रा.प्रति पौधा
जैविक खाद	
रासायनिक उर्वरक	

पहले वर्ष खेती करने का खर्च

क्रम सं	विवरण	खर्च हुई राशी (रुपए)
i)	नारियल पौधों का दाम	
ii)	भूमि की तैयारी व पौधों का रोपण	
iii)	बाड़ा लगाना, छाया प्रदान करना	
iv)	सिंचाई	
v)	उर्वरक	
vi)	अंतरा सस्यन, खरपतवार नियंत्रण	
vii)	पौधा संरक्षण	
viii)	कृषि उपकरण	
ix)	अन्य खर्च	
	कुल	

आवेदक का घोषणा-पत्र

मैं.....(पुत्र/पत्नी/पुत्री).....
.....(पता).....
.....एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही है और मैं सहायता प्राप्त करने के लिए नारियल विकास बोर्ड की सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। मैंने वर्ष 20..... के दौरान..... नारियल पौधों के रोपण और अनुरक्षण के लिए रु.....(.....) रुपए मात्र) खर्च किए हैं । पौधे वैज्ञानिक तरीके से खुली जगह पर / अधिरोपाई के रूप में लगाए हैं।

स्थान
तारीख

आवेदक का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान
नाम :

प्रमाणपत्र

(राज्य के कृषि अधिकारी / बोर्ड के तकनीकी अधिकारी का प्रमाणपत्र)

मैं.....(कृषि अधिकारी,.....) ने उपरोक्त कृषि भूमि का निरीक्षण किए हैं। मैं एतद्द्वारा साक्ष्यांकित करता /करती हूँ कि आवेदक ने..... हेक्टर भूमि में नए.....गुणवत्तापूर्ण पौधों के रोपण व अनुरक्षण के लिए रु.....(..... ..... रुपए मात्र) का खर्च उठाया है। मैं एतद्द्वारा यह भी साक्ष्यांकित करता /करती हूँ कि प्रस्तुत पौधे वैज्ञानिक तरीके से खुली जगह पर/ अधिरोपाई के रूप में लगाए हैं।

स्थान

तारीख

हस्ताक्षर

अधिकारी का नाम

कार्यालय मोहर

मात्र कार्यालय उपयोग के लिए

सत्यापित करने वाले अधिकारी की टिप्पणियाँ

नाम व पदनाम

अध्यक्ष का आदेश

रु..... (.....रुपए मात्र) प्रथम वर्ष सहायिकी मंजूर किया गया।

अध्यक्ष
नारियल विकास बोर्ड,कोची

<u>आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश</u>

1. आवेदक का नाम: बड़े अक्षरों में एक बोक्स में एक अक्षर लिखें । इनीष्यल अंत में लिखें।

मु	र	ली	ध	र	न		ना	य	र		के							

2.जिस बैंक में आवेदक का खाता है, उस बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या आदि स्पष्ट रूप में लिखें।

3 क्रम सं 5- भूमि का नाप मात्र हेक्टर में लिखें। (एक हेक्टर = 2.5 एकड. = 250 सेंट)

4. क्रम सं 5,8,9 के लिए कोलम में ✓ चिह्न दें।

5. ***<u>संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर रहित आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। आवेदक को घोषणा-पत्र में स्वयं हस्ताक्षर करना होगा।</u>***

<u>सहायिकी प्रदान करने की शर्तें</u>

1. सहायता के लिए आवेदन बोर्ड के निर्धारित प्रपत्र में कृषि अधिकारी के प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
2. उक्त योजना के अंतर्गत सहायिकी के लिए केवल वहीं कृषक पात्र हैं जो 0.1 हेक्टर (25 सेंट) या उससे अधिक तथा 4 हेक्टर (10 एकड़) या उससे कम भूमि के मालिक है। आवेदक को कम से कम 10 नारियल पेड़ लगाने होंगे।
3. आवेदक को कृषि भूमि पर कानूनी अधिकार होना चाहिए।
4. रोपाई के लिए या तो सरकारी नर्सरी, संबद्धित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी या नारियल विकास बोर्ड से प्राप्त या कृषक द्वारा स्वयं उगाए गए (कृषि अधिकारी का गुणवत्ता साक्ष्यांकन चाहिए) गुणवत्तापूर्ण पौधों का उपयोग करना चाहिए।
5. एक हेक्टर में 160 से कम या राज्य कृषि विभाग की सिफारिश से अधिक नारियल पौध नहीं लगाना चाहिए।
6. नारियल पौधों को शुरू से ही सिफारिश के अनुसार सभी उपचार देने होंगे।
7. प्रत्येक वर्ष में सहायिकी के लिए आवेदन देने से पहले सभी अपेक्षित कृषि कार्य करने चाहिए।
8. सहायिकी वास्तव में मौजूद नारियल पौधों के आधार पर प्रदान किया जाएगा। यदि सहायिकी प्राप्त नारियल पौधों का नाश हुआ या किसी कारणवश पौध नष्ट हो गए तो कृषक को अपने खर्च पर नए पौध लगाना होगा। परंतु इस प्रकार नए लगाए पौधों को पुन: सहायिकी प्रदान नहीं किया जाएगा।
9. लाभार्थी को अपने खर्च पर बाग में '**नारियल विकास बोर्ड से सहायिकी प्राप्त बाग**' बोर्ड प्रदर्शित करना होगा।
10. अगर सहायिकी प्राप्त किसी पौध का नाश किया जाता है तो मालिक को सहायिकी राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित बोर्ड को वापस करना होगा।
11. अगर सहायिकी प्राप्त किसी भी भूमि का यदि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अधिग्रहण किया जाता है तो बोर्ड को सहायिकी राशि वापस करना होगा।
12. अगर बोर्ड को यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने धोखेबाज़ी या गलत सूचना देकर सहायिकी प्राप्त किया है तो बोर्ड को सहायिकी राशि, 12 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल करने का हक होगा।
13. सहायिकी प्राप्त भूमि के उत्तराधिकारी सहायिकी की अगली एक किश्त मिलने के लिए पात्र होगा। इस केलिए बोर्ड को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा।